

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमती सरस्वती देवी पति स्व० चंदू उराव, श्री नरेश उराव पिता स्व० महाबीर उराव, देवन्ती कुमारी पति मोहन उराव और सोनामनी कुमारी पिता स्व० महाबीर उराव निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी.बी.ए. 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं: 62 (रेयाती) खाता सं. 374 के अधीन प्लॉट सं: 2272, 2281, 2296, 2349, 2371, 2379, 2405, 2411, 2416, 2456, 2536, 2546, 2548, 2576, 2585 & 2597, खाता सं. 66 के अधीन प्लॉट सं: 763/2913, कुल रकवा - 08.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी.बी.ए. 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम, थाना सं: 62 (रेयाती) खाता सं. 374 के अधीन प्लॉट सं: 2272, 2281, 2296, 2349, 2371, 2379, 2405, 2411, 2416, 2456, 2536, 2546, 2548, 2576, 2585 & 2597, खाता सं. 66 के अधीन प्लॉट सं: 763/2913, कुल रकवा - 08.00 एकड़ भूमि के तहत श्रीमती सरस्वती देवी पति स्व० चंदू उराव, श्री नरेश उराव पिता स्व० महाबीर उराव, देवन्ती कुमारी पति मोहन उराव और सोनामनी कुमारी पिता स्व० महाबीर उराव निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

Giam
26/10/20